न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 96/2019 **दायरा दिनांक : 08.07.2019**

उनवान

1– अकबर (मृतक) जरिये कायम मुकाम –

1/1– आजाद हुसैन पुत्र अकबर

1/2– रशीदन बानो पुत्री अकबर

1/3– अनीसा पुत्री अकबर

1/4– अलादीन पुत्र अकबर (मृतक) जरिये कायम मुकाम –

1/4/1– मुबारिक वल्द अलादीन

1/4/2– शहादत वल्द अलादीन

1/4/3– रशीदन बेवा अलादीन

1/5– फरियाद पुत्र अकबर (मृतक) जरिये कायम मुकाम –

1/5/1– शाहिद हुसैन पुत्र फरियाद

1/5/2– अयाज पुत्र फरियाद

1/5/3– शाहिन पुत्र फरियाद

1/5/4– शौकिन पुत्री फरियाद

1/5/5– अन्सार बेवा फरियाद

निवासीगण निचली मस्जिद के पास सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1– नसीम बेवा अब्दुल रहमान मृतक सीसवाली हाल मुकाम 6–सी–61 वक्फ बोर्ड कालोनी, कोटा

2– अब्दुल अजीज । अब्दुल रहमान मृतक सीसवाली हाल

3– अब्दुल करीम । मुकाम 6–सी–61 वक्फ बोर्ड कालोनी,

4– मोहम्मद फारूख । कोटा

5– अनवर ।

6– नाजो ।

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजनारायण शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री भारत सिंह अडसेला एवं श्री रूपेश कुमार श्रृंगी

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 34/2012 निर्णय दिनांक 22.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में नसीब बानों ने एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम उदपुरिया में खसरा नम्बर 311 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा तहसील मांगरोल, जिला बारां में स्थित है, जिसमें से 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता का था परन्तु प्रतिवादी अपीलांट के पिता अकबर द्वारा दिनांक 03.02.81 को ही जरिये विकय पत्र गवाह ख्वाजू बख्श व ताज मोहम्मद, जाति मुसलमान निवासी सीसवाली के सामने खरीद कर लिया था और प्रतिवादीगणस द्वारा उसी समय से कब्जा संभाल दिया था जिस पर अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा उसी समय से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उक्त वचादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु अब्दुल रहमान का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा होकने एवं उसका नाम राजस्व रिकार्ड में नाम डिलीट नहीं होने से एवं अपीलांट के पिता द्वारा अपना नाम दर्ज नहीं कराये जाने से वादीगण द्वारा इसी बात का फायदा उठाकर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.03.2012 को वाद प्रस्तुत किया गया था जो कि दिनांक 22.03.2017 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.06.2017 को प्रतिवादी को बिना किसी सूचना सुनवायी केही रेस्टोर कर दिया गया जबकि प्रतिवादी अकबर की मृत्यु दिनांक 14.01.2014 को हो चुकी थी जिस पर मृत व्यक्ति के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई । अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उक्त वादग्रस्त आराजी में से अपना 1/2 हिस्सा में अब्दुल रहमान वादी के पिता द्वारा अपीलांट के पिता अकबर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.02.1981 को विक्रय की जा चुकी थी और त्तसमय उक्त वादग्रस्त आराजी पर तभी से अपीलांट के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त तथ्य प्रतिवादी द्वारा वाद में अपने काउंटर क्लेम में अंकित किये जाने के बावजूद भी उसे अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । उक्त वाद दिनांक 22.03.2017 को अदम हाजरी में खारिज किया गया थ जिसे वादी द्वारा मिलीभगत कर पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिवादी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई और उस पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट के पिता जो कि वाद में प्रतिवादी कम 1 था की मृत्यु दिनांक 14.01.2014 को ही हो चुकी थी इस तथ्य को भी अनदेखा कर उक्त मामले में मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अपीलार्थी 1981 से ही उक्त कृषि आराजी पर निर्विध्न रूप से काबिज है जिसे भी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 अपास्त की जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हम प्रतिवादी थे । अभी अपीलांट हैं । काउंटर क्लेम पेश होने, साक्ष्य वादी के चलते दावा अदम हाजरी में खारिज किया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र लगाया । आर्डरशीट दिनांक 2.06.2017 में कहीं यह नहीं लिखा कि प्रतिवादी की तलबी/नोटिस जारी किये हैं । दिनांक 8.6.2017, 26.7.2017, 11.10.2017, 7.12.2017 व दिनांक 8.2.2018 तक पत्रावली तहसीलदार मांगरोल की रिर्पोट हेतु लम्बित थी । दिनांक 9.4.2018 को तहसीलदार मांगरोल की रिर्पोट प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.06.2018 नियत की गई । दिनांक 22.06.2018 को वकील वादी उपस्थित । वकील प्रतिवादी अनुपस्थित । निर्णय पारित किया गया । अपीलांट प्रतिवादी की दिनांक 14.01.2014 को मृत्यु हो चुकी है और फैसला दिनांक 22.06.2018 को पारित किया गया है जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अभिभाषक अपीलांट ने अपनी पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2014 (2) पेज 873 एवं आर आर टी 2017 (2) पेज 1047 पेश की । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज की जावें ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । वादग्रस्त आराजी ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल में खसरा नम्बर 311 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा जिसके बाद सैटलमेंट हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 1.34 हेक्टर कायम हुए हैं तथा ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में खसरा नम्बर 620 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा जिसके बाद सैटलमेंट हाल खसरा नम्बर 1337 रकबा 0.71 हेक्टर कायम हुए हैं । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार वादीगण के दादाजी व उनके भाई नूरह मोहम्मद पिसरान नाथू जी हिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 से थे । वादीगण के दादा जी के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी बतूल, पुत्र अब्दुल रहमान के नाम सहखातेदार नूर मोहम्मद के स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी करीमन के खाते दर्ज हुई । अकबर ने सैटलमेंट विभाग से मिलकर ग्राम उदपुरिया की वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दर्ज करवा लिया । प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जवाब व काउंटर क्लेम में उक्त आराजी तथाकथित दिनांक 03.02.1981 को वादीगण के पिता अब्दुल रहमान व दादी बतूल से खरीदना प्रकट किया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज उन्होंने आलेखित नहीं किया है । बेचाननामा फर्जी व झूठा है । प्रतिवादी नम्बर 1 अकबर व उनके वारिसान का वादीगण के उक्त हिस्सा 1/2 में कोई हक एवं अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद रेस्टोर होने के बाद उभयपक्षों की बहस सुनकर विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 22.03.2017 को पत्रावली साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत होने के बावजूद वादी न्यायालय में अपनी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज करने का आदेश दिया गया । इसके पश्चात वादी द्वारा दिनांक 02.06.2017 को

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी

रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को पुनः नम्बर पर ले लिया गया । उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र हेतु प्रतिवादी को न तो कोई नोटिस भिजवाया गया और न ही कोई सूचना दी गई । प्रतिवादी क्रम 1 अकबर की मृत्यु दिनांक 14.01.2014 को होने की जानकारी होते हुए भी वादी द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय में रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी द्वारा अपने वाद में न तो प्रतिवादी क्रम 1 अकबर के कायम मुकामान को पक्षकार बनाया गया और न ही इस बाबत अपीलांट को कोई सूचना दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अकबर के कायम मुकामान को पक्षकार बनाकर उन्हें सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा